राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(38)परि/नियम/मु./2011/33360 जयपुर,दिनांकः 12/04/2017

कार्यालय आदेश.....12....../2017

मुख्यालय के संज्ञान में लाया गया है कि परिवहन कार्यालयों में इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 13029/1985 में दिनांक 29.03.2017 को पारित निर्णय के पश्चात् दिनांक 01.04.2017 से पूर्व निर्मित किये गये सभी श्रेणी के वाहनों के पंजीयन पर रोक लगाई गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन में यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा केवल ऐसे दुपहिया, तिपहिया एवं चौपहिया वाहन जिनके द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115(15), 115(16) व 115(17) में वर्णित प्रदूषण उत्सर्जक मानक भारत स्टैज–IV की पालना दिनांक 31.03.2017 के पश्चात् नहीं की जा रही है, के पंजीयन पर ही रोक लगाई गई है।

उपरोक्त क्रम में एवं विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश संख्या 09/2017 के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि कृषि ट्रेक्टर, संनिर्माण उपस्कर यान (Construction Equipment Vehicle), कंबाईन हार्वेस्टर इत्यादि श्रेणी के वाहनों के लिये प्रदूषण उत्सर्जक मानक निर्धारण हेतु केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का नियम 115A प्रभावी है। इन वाहनों पर केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का नियम 115 प्रभावी नहीं है। अतः निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित वाहनों द्वारा सारणी के स्तम्भ संख्या 3 में उल्लेखित प्रदूषण उत्सर्जक मानकों की पालना की जाती है तो ऐसे वाहनों का पंजीयन नियमानुसार किया जावेः–

सारणी

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	प्रदूषण उत्सर्जक मानक/ प्रभावी नियम	प्रभावी होने की दिनांक
1.	डीजल चलित कृषि ट्रेक्टर एवं कृषि ट्रेक्टर चलित	Bharat(Trem) Stage IIIA (नियम 115A(7))	01.04.2010

Scanned by CamScanner

	कंबाईन हार्वेस्टर		
2.	डीजल संनिर्माण उपस्कर यान (Construction Equipment Vehicle)	Bharat Stage-III(CEV) (नियम 115A(6))	01.04.2011
3.	स्वचालित कंबाईन हार्वेस्टर	Bharat Stage-III(CEV) (नियम 115A(6))	01.04.2015
4.	गैसोलीन चलित पावर टिलर	Bharat Stage-III (नियम 115A(8))	01.07.2013
5.	गैसोलीन चलित पावर स्वीपर/कृषि ट्रेक्टर	Bharat Stage-III (नियम 115A(8))	01.10.2014

उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्रमांकः प.7(38)परि/नियम/मु./2011/33361-365 जयपुर,दिनांकः 12/04/2017

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. मुख्यालय अधिकारीगण (समस्त)।
3. प्रादेशिक/ अति. प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

12/4/2017

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

Scanned by CamScanner